

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 72/2018

प्रार्थी-

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य
सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण-

1. गोपीलाल पुत्र देवीलाल जाति दर्जी
निवासी आदर्श नगर चौहटन जिला
बाड़मेर (मैसर्स चावड़ा प्रोवीजन स्टोर
चौहटन जिला बाड़मेर का मालिक)
2. पवन कुमार पुत्र भूरचन्द जैन निवासी
जूना केराडू मार्ग बाड़मेर (मैसर्स
पवन कुमार बोथरा एण्ड क. कृषी
उपज मण्डी बाड़मेर का मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 व 52 खाद्य
सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री सम्पतराज बोथरा, अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 29.09.2021



प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की
अनुच्छेद धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 व 52 खाद्य सुरक्षा और
मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि
अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म मैसर्स चावड़ा प्रोवीजन स्टोर चौहटन जिला बाड़मेर पर
निरीक्षण दिनांक 05.08.2017 को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड
सोयाबीन तेल ब्राण्ड आशिष (500 एमएल), को मिलावट का होने के शक पर
नियमानुसार 500-500 एमएल रिफाइण्ड सोयाबीन तेल ब्राण्ड आशिष
(500एमएल) की कुल 4 बोतलें वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या
पी-813 अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के
तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह



न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड सोयाबीन तेल ब्राण्ड आशिष (500एमएल) का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड सोयाबीन तेल ब्राण्ड आशिष (500एमएल) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) एवं अवमानक (Substandard) पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण अपने प्रतिरक्षण में मौखिक बहस की। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बताया कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला में सोयाबीन तेल में विटामीन ए नहीं होने के आधार पर परिवाद पेश किया गया है किन्तु खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के उपबंध ए 17.13 में सोयाबीन तेल का मानक स्टेण्डर्ड अभिनिर्धारित करते हुए अभिलिखित किया हुआ है जिसमें 40 प्रतिशत सेंटीग्रेड सी पर सोयाबीन तेल का परीक्षण करने पर निम्नानुसार मानदण्ड सही आने पर प्रयोग विशुद्ध होता है। विधि की मंशा अनुसार सोयाबीन तेल में विटामीन ए की उपस्थिति आवश्यक नहीं रखी गई है। इसलिए प्रथम दृष्टया अप्रार्थी के विरुद्ध लगाया गया आरोप गलत होने से निरस्त योग्य है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बताया कि धारा 190 CRPC के तहत प्रसंज्ञान के अधिकार मजिस्ट्रेट को प्रदान किये गये हैं। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन इस प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा आरोपित अपराध के संबंध में प्रसंज्ञान नहीं लिया गया है जो एक गम्भीर अनियमितता एवं त्रुटि है इसलिए अभियुक्तगण को इसका लाभ दिया जाकर उन्हें अपराध से उनमोचित करना चाहिये। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने यह भी बताया कि विधि (धारा 207, 206, 262 से 265) के प्रावधान अनुसार हस्तगत प्रकरण संक्षिप्त विचारण का प्रकरण है। न्यायालय हाजा द्वारा इस प्रकरण में अप्रार्थी को न तो आरोप सुनाया है तथा न ही प्रतिरक्षा का अवसर दिया है। उपरोक्त प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा संक्षिप्त विचारण की कोई भी प्रक्रिया अपनाई नहीं गई है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने चाहिये।



3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 18.08.2017 में उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना मिथ्याछाप और अवमानक पाया गया। अप्रार्थीगण की ओर से मौखिक जवाब दिया गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बताया कि विटामिन ए का नहीं होना किसी प्रकार का अपराध नहीं है इस आधार पर जो परिवाद प्रस्तुत किया गया है वह गलत होने से ड्रॉप फरमाया जावे। अप्रार्थीगण की फर्म से लिये गये नमूना के पैकिंग में उक्त खाद्य पदार्थ के सामग्री में विटामीन ए शामिल होना अंकित किया हुआ है जबकि प्रयोगशाला परीक्षण में विटामीन ए होना नहीं पाया गया है, इस प्रकार जो सामग्री पैकिंग पर मुद्रित की गई है वह प्रयोगशाला जांच में नहीं पाई जाती है तो उक्त नमूना अवमानक की श्रेणी में ही माना जावेगा। इसके अलावा जहां तक अधिवक्ता अप्रार्थीगण का कथन है कि इस प्रकरण में धारा 190 सीआरपीसी के तहत प्रसंज्ञान नहीं लिया गया है तथा धारा 207, 206, 262 से 265 की अनुपाना नहीं की गई है तो इस सम्बन्ध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 68 में न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष महज जुर्माना से दण्डित किये जाने वाले परिवाद सुनवाई का क्षेत्राधिकार है तथा उक्त परिवादों में सम्बन्धित पक्षकारान को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करना एवं मामले की आवश्यक जांच तक की प्रक्रिया ही विहित की गई है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा हस्तगत परिवाद का कोई ठोस एवं तथ्यात्मक जवाब प्रस्तुत नहीं किया है तथा अंतिम बहस की स्टेज पर उक्त सारहीन आक्षेप प्रस्तुत किये गये हैं जो विचारणीय एवं विवेचन योग्य प्रतीत नहीं होते हैं। अप्रार्थीगण की ओर से अपने व्यवसाय में जिस खाद्य पदार्थ का विक्रय किया जा रहा था, की गुणवत्ता व मानकता के प्रति अपने दायित्व से विमुक्ति का प्रयास किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना अवमानक व मिथ्याछाप पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। अप्रार्थीगण द्वारा मौखिक जवाब में कोई ठोस एवं तथ्यात्मक प्रतिरक्षण प्रकट नहीं किया गया है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा



26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरुद्ध अपराध धारा 51 व 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से 25,000/- का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. अदेश आज दिनांक 29.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(ओम प्रकाश बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर